प्रकरण संख्या 24/2019 2019/00129 ता0रजू 04.06.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

विशनपाल मीना पुत्र श्री छीतरिया मीना आयु 44 साल जाति मीना निवासी बरिया (चैनपुर) तहसील व जिला करौली — अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी करौली — रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय जिला रसद अधिकारी करौली दिनांक 28.05.2019 उनवानी सरकार बनाम विशनपाल मीना मुकदमा नं. 231/19

निर्णय

दिनांक 11.09.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि जिला रसद अधिकारी करौली, प्रवर्तन निरीक्षक करौली व प्रवर्तन निरीक्षक टोड़ाभीम द्वारा दिनांक 04.02.2019 को अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच की गई। दौराने निरीक्षण दुकान बंद पाया जाना, दुकान के बाहर उचित मूल्य दुकान का बोर्ड, मूल्य सूची एवं स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड, दूरभाष नंबर अंकित नहीं होना, जांच टीम को देखकर अपीलार्थी डीलर का भाग जाना, मौके पर 1.44 क्विं. गेंहूं व 7.5 क्विं. चीनी कम पाया जाना, केरोसीन का 606 लीटर अधिक वितरण किया जाना आदि अनियमितताएं पाये जाने पर अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी करौली ने निर्णय दिनांक 28.05.2019 कानून के विपरीत दिया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अदालत मातहत ने निर्णय में जो 3 बिन्दु लिखे है वह बिल्कुल गलत है। अपीलाण्ट की उचित मूल्य की दुकान ग्राम चेनपुर बरिया भाग 1/2 तहसील करौली दौराने निरीक्षण खुली हुई थी और दुकान पर अपीलाण्ट बैठा हुआ था तथा उचित मूल्य की दुकान पर मूल्य व स्टाक प्रदर्शन बोर्ड, दूरभाष नंबर नियमानुसार लिखा हुआ था जो मौके पर अब भी मौजूद है। बिन्दू नं. 3 में गेंहू 1.44 क्विं. एवं चीनी 7.5 क्वि. कम पाया जाना एवं केरोसीन का 606 लीटर अधिक वितरण करना प्रवर्तन अधिकारी ने गलत दर्ज किया है जबकि दुकान के अन्दर बची हुई सभी सामग्री मौजूद थी। किसी भी सामग्री का अधिक वितरण अपीलाण्ट की उचित मूल्य दुकान चेनपुर बरिया 1/2 भाग में नही किया गया है। सारे तथ्य गलत हैं जो अपीलाण्ट को परेशान करने व राजनैतिक दवाब में आकर अपीलाण्ट के डीलरशिप के लाइसेंस को निरस्त करने के इरादे से यह निर्णय दिया है जो काबिले मन्सूख है। अपीलाण्ट ने किसी भी प्रकार की उचित मूल्य की दुकान की डीलरशिप में कोई उल्लंघन व विक्रय में कोई दुरूपयोग नहीं किया है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में गेंहू का स्टॉक सही पाया जाना, चीनी का स्टाक अटैचमेंट के उचित मूल्य दुकानदार कैलाश मीना को संभलवाना सही पाया गया है। इस प्रकार अपीलाण्ट ने कोई भी अधिक गेंहू व चीनी का वितरण नहीं किया है। सारे तथ्य गलत दर्ज किये है तथा केरोसीन तेल काशीपुरा पंचायत के डीलर गजेन्द्र मीणा की दुकान का अटेचमेंट

जिला कलक्टर
करौली

मेरे नाम था जिसको मेरी पोश मशीन से वितरण जिला रसद अधिकारी के आदेश से किया गया है जो बिल्कुल सही था। इसका दुरूपयोग या अधिक वितरण अपीलाण्ट ने नहीं किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने कथन किया है।

प्रत्यर्थी का बहस में कथन है कि जिला रसद अधिकारी करौली, प्रवर्तन निरीक्षक करौली व प्रवर्तन निरीक्षक टोड़ाभीम द्वारा दिनांक 04.02.2019 को अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच की गई। अपीलार्थी अपनी दुकान पर बैठा हुआ था लेकिन जांच दल को देखकर भाग गया। बाद में उसे दूरभाष पर सम्पर्क करके बुलाया गया। दुकान के बाहर उचित मूल्य दुकान का बोर्ड, मूल्य सूची एवं स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड, दूरभाष नंबर अंकित नहीं होना पाया गया। अपीलार्थी डीलर की पोस मशीन से स्टॉक की पर्ची निकलवायी गई जिसमें 200 किलो चीनी, केरोसीन 0 (शून्य) लीटर व 145 क्विं. गेंहूं दर्ज पाया गया। दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर चीनी के 4 सील बंद कट्टे (प्रति कट्टा 50 किलो) कुल 2 क्विं. चीनी, केरोसीन 0 (शून्य) लीटर, एवं गेंहूं के 181 कट्टे (प्रति कट्टा 50 किलो) कुल 9055 किलोग्राम तौलने पर पाया गया। फरवरी माह की आमद का उसकी पोस मशीन में अपडेट नहीं होना बताया। कार्यालय के रिकॉर्ड व ऑनलाइन वितरण के आधार पर एवं कार्यालय में थोक विक्रेताओं द्वारा पेश की गई मासिक वितरण रिपोर्ट के आधार पर ऑडिट किये जाने पर दिनांक 01.02.2019 के प्रारम्भिक स्टॉक 1.44 क्विं. गेंहूं एवं माह फरवरी 2019 की आमद 90.55 क्विं. गेंहूं सहित कुल 91.99 क्विं. गेंहूं में से 0 (शून्य) क्विं. गेंहूं वितरण के बाद 91.99 क्विं. की अपेक्षा 90.55 क्विं. गेंहूं पाया गया जो 1.44 क्विं. गेंहूं कम था। इसी प्रकार दिनांक 01.01.2018 के प्रारम्भिक स्टॉक 0 (शून्य) क्विं. चीनी एवं 01.01.2018 से वक्त जांच तक आमद 17.5 क्विं. चीनी सहित कुल 17.5 क्विं. चीनी में से 8.0 क्विं. चीनी के वितरण के बाद 9.5 क्विं. चीनी की अपेक्षा 2 क्विं. चीनी पाई गई जो 7.5 क्विं. चीनी कम है। इसी प्रकार दिनांक 01.10.2016 के प्रारम्भिक स्टॉक 0 (शून्य) लीटर केरोसीन एवं दिनांक 01.10.2016 से वक्त जांच तक आमद 10950 लीटर सहित कुल 10950 लीटर केरोसीन की अपेक्षा 11556 लीटर केरोसीन का वितरण कर दिया जो 606 लीटर अधिक था। अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निलंबित कर शेष सामग्री को अटैच डीलर को संभलवाने के आदेश दिये जाने पर अपीलार्थी द्वारा "बाद की सोच" से गेंहू व चीनी का स्टॉक पूर्ण कर अटैच डीलर को संभलाया गया है एवं केरोसीन को अटैच डीलर काशीपुरा का होना बताया है। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर चीनी वितरण में अनियमितता का दोषी पाया गया है जिसके कारण अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त करने की कार्यवाही की गई है जो विधिसम्मत है। अंत में अपील अपीलाण्ट को खारिज फरमाये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान का बंद पाया जाना, दुकान के बाहर उचित मूल्य दुकान का बोर्ड, मूल्य सूची एवं स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड, दूरभाष नंबर अंकित नहीं होना पाया गया। अपीलार्थी की दुकान में स्थित स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने व कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड तथा ऑनलाइन वितरण की रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा करने पर पाया कि वक्त जांच अपीलार्थी की राशन दुकान पर 91.99 क्विं. गेंहूं, 9.5 क्विं. चीनी होनी चाहिये थी जिसकी अपेक्षा 90.55 क्विं. गेंहूं व 2 क्विं. चीनी पायी गई। इस प्रकार 1.44 क्विं. गेंहूं व 7.5 क्विं. चीनी कम थी। अपीलार्थी द्वारा 606 लीटर केरोसीन का अधिक वितरण किया गया है एवं राशन प्राधिकार पत्र निलंबित होने पर चीनी व गेंहूं का स्टॉक पूर्ण कर अटैच डीलर को दिया गया है एवं केरोसीन को अटैच राशन दुकान काशीपुरा का होना बताया जाकर जिला रसद अधिकारी करौली की सहमति से वितरण किया जाना बताया है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा "बाद की सोच"

जिला कलक्टर
करौली

से स्टॉक पूर्ण कर संभलाया गया है एवं चीनी वितरण में अनियमितता का दोषी पाया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी, करौली का निर्णय दिनांक 28.05.2019 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी, करौली को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली